



2026:AHC:21433

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या – 835 सन् 2026

प्रमोद कुमार मिश्रा

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: प्रफुल देव शुक्ला, ऋषि कांत राय,

शशांक शेखर राय, शुभम

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री ऋषि कांत राय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री गौरव सिंह ने कहा है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं। वे कोई शपथपत्र दायर नहीं करना चाहते और निवेदन करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 8 जनवरी 2015 को अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें प्रतापगढ़ जिले में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने 31 जुलाई 2018 तक कार्य किया और उसके बाद उनका स्थानान्तरण गोंडा कर दिया गया और वे नवंबर 2022 तक गोंडा में रहे और 2022 से याचिकाकर्ता झांसी में अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लिमिटेड, लखनऊ (जेईएफईडी) नामक एक संघ है। इसे दालों, तिलहन, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के लिए नोडल क्रय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, जेईएफईडी में जिला प्रबंधक का एक पद है, जिस पर विभिन्न सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि पांचवें उत्तरदाता को वर्ष 2025 में जेईएफईडी, झांसी के जिला प्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यद्यपि, उनके विरुद्ध की गई शिकायत के कारण, याचिकाकर्ता को 16.07.2025 को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद 02.12.2025 को, उप

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आयुक्त और उप निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, झांसी मण्डल, झांसी द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता से जिला प्रबंधक जेईएफईडी का प्रभार छीनकर पांचवें उत्तरदाता को सौंप दिया था और अब, दिनांक 31.12.2025 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता से पांचवें उत्तरदाता को प्रभार सौंप दिया गया।

5. तीसरे उत्तरदाता, उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, झांसी मंडल, झांसी द्वारा दिनांक 31.12.2025 को पारित आदेश पर प्रश्न उठाते हुए यह याचिका दायर की गई।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पाँचवें उत्तरदाता के विरुद्ध अभिलिखित शिकायत के कारण याचिकाकर्ता को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और पेपर-बुक के पृष्ठ 28 पर एक पत्र उपस्थित है, जिससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है, यद्यपि, अब कथित शिकायत के आधार पर, जिसकी सामग्री याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं है पुनः याचिकाकर्ता से प्रभार वापस लेकर पाँचवें उत्तरदाता को सौंप दिया गया है। उनका निवेदन है कि यदि कोई शिकायत थी, तो पाँचवें उत्तरदाता को ही क्यों चुना गया और किसी अन्य प्राधिकारी को क्यों नहीं।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री गौरव सिंह का निवेदन है कि चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत है और पाँचवें उत्तरदाता के विरुद्ध भी शिकायतें थीं। यद्यपि, उन्होंने यह तर्क दिया कि जेईएफईडी के प्रबंधक के पद पर कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, बल्कि यह केवल एक अतिरिक्त प्रभार है। उन्होंने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता उत्तरदाता संख्या 1 से संपर्क कर सकता है।

8. मैंने बार में दिए गए सभी निवेदनों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता और उत्तरदाता संख्या 5 के बीच विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि जेईएफईडी के जिला प्रबंधक का प्रभार संभालने के लिए कौन सक्षम है। यद्यपि, विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप और शिकायतें हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है और इसके अलावा पांचवें उत्तरदाता के विरुद्ध शिकायतें थीं और जिसके कारण याचिकाकर्ता को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

10. चाहे जो भी हो, न्यायालय का मत है कि तथ्यात्मक मुद्दों में गहराई से जाना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दावे की प्रथम दृष्ट्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी आवश्यक है। तदनुसार, याचिकाकर्ता उत्तरदाता संख्या 1, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकारी), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से संपर्क करके अपनी शिकायत अभिलिखित करायेगा, जो इसके बाद पांचवें उत्तरदाता सहित प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करेगा और दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा। यदि उत्तरदाता संख्या 1 को लगता है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो याचिकाकर्ता और उत्तरदाता संख्या 5 को विधिवत सूचना देने के बाद कागजात उस प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।

11. आज दायर किए गए निर्देश अभिलेख में अभिलिखित कर लिए गए हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

**30 जनवरी, 2026**

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति,

विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"